भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 781
(दिनांक 04.02.2026 को उत्तर देने के लिए)

सीबीएफसी द्वारा फिल्म प्रमाणन में देरी

781. श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्राः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) द्वारा फिल्म प्रमाणन में अत्यधिक विलंब के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) 2021 में फिल्म प्रमाणन अपीलीय न्यायाधिकरण (एफसीएटी) की समाप्ति के बाद से पुनरीक्षण समितियों और उच्च न्यायालयों के समक्ष चुनौती दिए गए फिल्म प्रमाणन निर्णयों की संख्या वर्ष-वार कितनी है;

(ग) ऐसी अपीलों के निपटान में कितना औसत समय लगता है और इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2021 से वर्ष-वार कितनी फिल्मों की रिलीज में देरी हुई;

(घ) 2021 से ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है जिनमें सीबीएफसी ने प्रमाणित फिल्मों की फिर से जांच की है; और

(ङ) आवेदकों के लिए शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री
(डॉ. एल. मुरूगन)

(क) से (ङ): केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 और सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) नियम, 2024 के अनुसार कार्य करता है। उक्त नियमों के नियम 37

के अंतर्गत फिल्मों के प्रमाणन के लिए निर्धारित समय-सीमा 48 कार्य दिवस है। ऑनलाइन प्रमाणन प्रणाली के कार्यान्वयन के साथ, प्रमाणन के लिए वर्तमान औसत समय फीचर फिल्मों के लिए 18 कार्य दिवस और लघु फिल्मों के लिए 3 कार्य दिवस है।

2021 में फिल्म प्रमाणन अपीलीय न्यायाधिकरण (एफसीएटी) को समाप्त किए जाने के बाद से सीबीएफसी द्वारा थिएटर में प्रदर्शन के लिए प्रमाणित फिल्मों, पुनरीक्षण समितियों (आरसी) और विभिन्न उच्च न्यायालयों (एचसी) के समक्ष चुनौती दिए गए निर्णयों का वर्षवार विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 से आज तक
कुल प्रमाणित फिल्में	2031	2777	2837	2687	2248
आरसी के सामने चुनौती दी गई	25	46	49	38	55
उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई।	2	4	1	4	10

पुनरीक्षण समिति में फिल्मों के निपटान में लगने वाला समय सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) नियम, 2024 के नियम 37(7) के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर है।

सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 और सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) नियम, 2024 के अंतर्गत विद्यमान प्रावधानों में एक बहु-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र का प्रावधान है, जिसके अंतर्गत आवेदक पुनरीक्षण समिति के समक्ष अपील कर सकते हैं।

*****